प्रतिवेद्य

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

दीवानी पुनर्याचना अधिकारिता

दीवानी पुनर्याचना संख्याः 3257–3268 सन् 2019

(विशेष अनुमति याचिका (दीवानी) संख्याः 31748–31759 सन् 2019 से उत्पन्न)

इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड अपीलार्थी

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रत्यर्थीगण

निर्णय

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

माननीय न्यायमूर्ति, अशोक भूषण।

प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी से प्रवेश कर पर ब्याज की मांग करते हुए जारी सूचनाओं की मांग पर आपत्ति उठाते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका को इलाहाबाद उच्च न्यालय की खण्ड़पीठ द्वारा दिनांक 22.11.2018 खारिज कर दिये जाने के विरूद्ध ये याचिकाएं दायर की गयी हैं। ये पुनर्याचनाएँ **यूपी टैक्स ऑन इन्ट्रीऑफ गुड्स इटू लोकल एरिया 2007** अधिनियम के अन्तर्गत अपीलार्थी पर प्रवेश कर का भुगतान करने के दायित्व से संबंधित विषय पर केंद्रित हैं (अधिनियम, 2007 से संदर्भित)। अपीलार्थी द्वारा मांगी गयी प्रवेश कर का भुगतान कर दिये जाने पर इस विषय को केवल प्रवेश कर पर ब्याज का भुगतान करने का दायित्व से संबंधित समझा जाना है।

उ.प्र. राज्य एवं देश के अन्य राज्य में प्रवेश कर अधिनियम में मुकदमों का लम्बा इतिहास रहा है। प्रवेश कर अधिनियम को प्रवर्तित करने में राज्यों की विधायिका की वैधानिक योग्यताओं पर प्रश्नगत करते हुए उ. प्र. सहित अन्य राज्यों द्वारा प्रवर्तित प्रवेश कर अधिनियम को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

गयी, जो भारत के संविधान के भाग 13 के अनुच्छेद 301 एवं अन्य के अन्तर्गत प्रदत्त व्यापार, वाणिज्य एवं समागम के दूषित अधिकार रिट याचिकाकर्ताओं के अनुरूप है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं कुछ अन्य उच्च न्यायालयों ने शुरुआती प्रवेश कर कानूनों को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ये कानून भारत के संविधान के भाग 13 के अंतरर्गत प्रद्त्त अधिकारों का उल्लंघन करते हैं।

इन पुनर्याचनाओं में उत्पन्न विषयों निर्णय करने के लिए जहां तक उ. प्र. में वादों के इतिहास का संबंध है उस पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी स्थानीय क्षेत्र में किसी माल पर प्रवेश कर का अधिरोपण को **यू.पी टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स अधिनियम, 2000** द्वारा लगाया गया, डब्ल्यू. ई. एफ 01.11.1999 जिसे यू.पी. टैक्स ऑन एंट्री ऑन गुड्स अधिनियम 2000 द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, जो 01.11.1999 को में आया। प्रवेश कर को कच्चे तेल पर भी लगाया गया। कच्चे तेल पर कर के अधिरोपण को चुनौती देते हुए सन् 2003 में मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद के समक्ष रिट याचिका संख्या 251 अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी। मा. उच्च न्यायालय ने अपने

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विस्तृत निर्णय एवं आदेश दिनांकित 27.01.2004 को अधिनियम सं. 1, सन् 2000 को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 एवं 304 के उल्लंघन में माना और अतः इसको अधिकारातीत (घातक महामारी) घोषित कर दिया। 27.01.2004 को पारित निर्णय, जिसे बाद में सिविल अपील सं. 997–998, सन् 2004 के रूप में पुनः अंकीकृत किया गया, के विरूद्ध उ. प्र. राज्य नें विशेष अनुमति याचिका प्रस्तुत की। न्यायालय दिनांक 09.03.2004 को निम्नलिखित अन्तरिम आदेश पारित कियाः–

> "अमल हेतु आवेदन पत्र पर नोटिस जारी करें।
>
> अनुमति प्रद्त्त।
>
> 27.01.2004 के बाद अलग–अलग खाते में ब्याज को प्रत्यर्थियों से अपीलार्थी द्वारा प्राप्त किया जा सकने वाले सभी करों को अपीलार्थी द्वारा शपथ करने के विषयाधीन आक्षेपित निर्णय की कार्यवाही पर रोक लगायी जाती है। इससे प्राप्त राशि

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एवं ब्याज इस न्यायालय के आगे के आदेशों के विषयाधीन रोक दी जाएगी।

विशेष अनुमति (सिविल) संख्याः 3033/3004

इस विषय को हटायें।"

5. इस न्यायालय की संविधान पीठ ने **जिन्दाल स्टेनलेस स्टील लि. (2) एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2006) 7 एस.एस.सी. 241** के मामले में कर क्षतिपरक है या नहीं को तय करने के लिए मानदण्ड़ों का निर्धारण कियाा। संविधान पीठ ने दुहराया कि अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जैसा कि अतियाबारी टी कम्पनी लि. बनाम असाम राज्य, एआईआर 1961 एस.सी. 232 के मामले में व्यापार एवं वाणिज्य के में **प्रत्यक्ष एवं निकटम प्रभाव** का यह सिद्धान्त और ऑटोमोबाईल ट्रांसपोर्ट(राजस्थान) लि. बनाम राजस्थान राज्य, ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 1408 के मामले में व्यक्त कार्यप्रणाली परीक्षण इस बात को तय करने के लिए कि कर क्षतिकारक है अथवा नहीं को लागू करने के लिए बने रहने देना था। संविधान पीठ ने उसे तदनुरूप बनाये रखा, विभिन्न क्षेत्रीय अधिनियमनों की संवैधानिक मान्यता

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लंबित अपीलों, विशेष अनुमति याचिकाओं एवं रिट याचिकाओं के विषयाधीन इस निर्णयों के आलोक में निस्तारण हेतु सुनी जाएगीं।

6. जब न्यायालय ने पक्षकारों को अनुज्ञा दी कि संबंधित रिट याचिकाओं को युक्तियुक्त तथ्यों को अपने–अपने उच्च न्यायालयों में दो माह के भीतर प्रस्तुत करें जिनको आक्षेपित अधिरोपण क्षतिपरक प्रकृति की या की जाँच करनी थी, संवैधानिक पीठ के निर्णय के आधार पर इस मामले को सुनवाई के लिए 14.07.2006 तारीख लगी। मा. उच्च न्यायलय से आदेश प्राप्ति की तिथि से पाँच माह के अन्दर मामले को निपटाने की प्रार्थना की गयी। इस न्यायलय के उपरोक्त आदेश के उपरान्त, मा.इलाहाबाद उच्च न्यायलय दिनांक 08.01.2017 को उठायी गयी आपत्तियां कि कच्चे तेल एवं अन्य सामानों पर लगाया गया प्रवेश कर दण्डात्मक कर की आवश्यक शर्तों, इस न्यायलय द्वारा यथानिर्णीत, को पूरा नहीं करता पर सुनवाई के लिए राजी हुआ। इस न्यायालय ने दिनाँक 17.04.2007 को सिविल अपील संख्या 997–998 वर्ष 2004 **उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन**

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लिमटेड एवं अन्य के मामले में निम्नलिखित शर्तों के साथ आदेश पारित किया गया–

".....उच्च न्यायलय का आदेश, जहाँपर इसको करदाताओं के पक्ष में पारित किया गया है यह वहां तक लागू होगा जहाँ तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है....."

7. उपरोक्त अन्तरिम आदेश के आधार पर इसका प्रभाव यह था कि उत्तर प्रदेश राज्य में कर का आरोपण अपोषणीय होना ही था। पूर्व अधिनियम सं. 1 वर्ष 2007 को निरसित कर एवं इस अधिनियम को, जो कि 01.11.1999 से प्रभावी है, पुनः लागू करके उत्तर प्रदेश राज्य ने दिनांक 24.09.2007 को **उ. प्र. स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश कर अधिनियम (उ. प्र. अधिनियम 35 वर्ष 2007)** लागू किया। उद्देश्यों एवं कारणों से संबंधित कथन जो उपरोक्त अध्यादेश के निर्गमन के लिए आवश्यक था वह निम्नलिखित हैः–

उद्देश्यों एवं कारणों से संबंधित कथन

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उत्तर प्रदेश माल प्रवेश कर अधिनियम, 2000 (अधिनियम सं. 12 वर्ष 2000) को लागू किया गया जो स्थानीय क्षेत्र में माल के उपभोग, प्रयोग, एवं विक्रय हेतु प्रवेश पर कर लगाने एवं उसको वसूलने के प्रावधान करता है। मा. इलाहाबाद उच्च न्यायलय नें रिट याचिका सं.251/2003, **श्री इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम राज्य सरकार** के मामले में दिनांक 27 जनवरी, 2004 स्वयं द्वारा पारित निर्णय में इस अधिनियम को अधिकारातीत(महामारी) घोषित कर दिया। राज्य सरकार ने उक्त निर्णय के विरूद्ध विशेष अनुमति याचिका, संख्या 2757–2758/2004 दायर की। दिनांक 09.02.2004 के मा. उच्च न्यायलय के निर्णय पर मा. उच्चतम न्यायलय ने यह शर्त लगाते हुए रोक लगा दी कि प्रवेश कर के रूप में प्राप्त राशि अलग–अलग ब्याज खातों पर जमा की जाएगी। इसके उपरान्त, **जिंदाल स्टील लिमिटेड बनाम राज्य सरकार एवं अन्य** के मामले में मा. उच्चतम न्यायालय मा. उच्च

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

न्यायलय से अपेक्षा की कि इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश कर के दण्डातमक प्रकृति से इससे संबंधित रिपोर्ट हमको दें। दिनांक 09 जनवरी, 2007 को मा. उच्च न्यायलय ने यह निर्णीत किया कि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश कर दण्डात्मक प्रकृति का नहीं है। यही निर्णय **इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं समान मामलों** में मा. उच्च न्यायलय ने पारित किया। दिनांक 08 जनवरी, 2007 के मा. उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध राज्य सरकार ने मा. उच्चतम न्यायलय में विशेष अनुमति याचिका(एस.एल.पी.) दायर की गई। चूंकि उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 17 अप्रैल 2007 के अंतरिम आदेश के आधार पर मेसर्स इण्डियन ऑल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 3022–28 करोड़ रूपये के धनवापसी की मांग की जा रही थी इसलिए राज्य सरकार उच्चतम न्यायलय के संवैधानिक पीठ के निर्णय के पश्चात् उक्त अधिनियम को नये सिरे से भूतलक्षी रूप से लागू करने का

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

विचार कर रही थी। इस सब के बीच बिहार प्रवेश कर अधिनियम को पटना उच्च न्यायालय द्वारा वैध घोषित कर दिया गया। अतः उच्च न्यायालय द्वारा दर्शित कमियों को हटाकर, उच्चतम न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा दण्डात्मक कर से संबंधित किये गये अवलोकन के प्रकाश में और पटना उच्च न्यायालय द्वारा वैध घोषित बिहार प्रवेश कर अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावित विधि बनाने का निर्णय लिया गया।

चूंकि राज्य की विधायिका सत्र में नहीं थी और उक्त निर्णय को लागू करने की नितांत आवश्यकता थी, इसलिए दिनांक 24 सितंबर 2007 को उ. प्र. क्षेत्रीय भागों में माल प्रवेश कर अध्यादेश, 2007 (अध्यादेश संख्या 35 वर्ष 2007) राज्यपाल द्वारा सितम्बर 24,2007 को प्राख्यापित किया गया।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इस विधेयक को उक्त अध्यायदेश को प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है।"

8. अध्यादेश संख्या 35 वर्ष 2007 को उ.प्र. क्षेत्रीय भागों में प्रवेश कर अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया था। अपीलार्थी ने उक्त अध्यादेश के प्रवर्तन के उपरान्त उच्च न्यायलय इलाहाबाद में अध्यादेश संख्या 35 वर्ष 2007 को चुनौती देते हुए रिट याचिका संख्या 1483 वर्ष 2007 दायर की थी। अधिनियम के प्रवर्तन के उपरान्त रिट याचिका में "अधिनियम" को "अध्यादेश" से प्रतिस्थापित करने की मांग की गयी थी। दिनांक 18.12.2008 को **जय प्रकाश एसोसिएट लिमिटेड बनाम मध्य प्रदेश राज्य एवं अन्य (2009) 7 एस.सी.सी. 339** के मामले मे इस न्यायालय की दो जजों वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में माल प्रवेश पर कर लगाने के इस मामले का भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 (3) की शर्तों के अनुरूप निर्धारण हेतु नव जजों वाली बड़ी पीठ को संदर्भित कर दिया। दिनांक 23.12.2011 को उच्च न्यायलय की खण्डपीठ ने रिट याचिका संख्या 1483 वर्ष 2007 साथ ही साथ अनेक रिट याचिकाएं

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जिसमें महत्वपूर्ण रिट याचिका जो रिट टैक्स संख्या 1484 वर्ष 2007– आईटीसी लिमिटेड बनाम उ. प्र. राज्य हैं, को निस्तारित किया। इलाहाबाद उच्च न्यायलय की खण्ड़पीठ ने यह निर्णीत किया कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश कर अधिनियम, 2007 के प्रवर्तन में विधायी अभियोग्यता की कियाी नहीं थी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वार अनुसूचित माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर उपभोग, प्रयोग एवं बिक्री हेतु प्रवेश कर लगाना था।

इस निर्णय का निष्कर्ष भाग प्रस्तर संख्या 151,152 एवं 153 में है जो इस निम्नलिखित हैः–

> "151. उक्त प्रायोजनों हेतु, हम धारित करते हैं कि अनुसूचित माल को स्थानीय क्षेत्रों में उपभोग, प्रयोग और बिक्री के लिए प्रवेश पर प्रवेश कर को लगाते हुए स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश कर अधिनियम, 2007 को प्रवर्तित करने में उ. प्र. सरकार के पास विधियी योग्यता का आभाव नहीं था। अधिनियम के प्रावधान स्पष्टतः प्रावधान करते हैं कि प्रवेश कर की सम्पूर्ण

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

राशि उ. प्र. राज्य विकास निधि में एकत्र एवं जमा होगी और इस निधि का प्रयोग केवल इसके प्रतिपूर्ति के उद्देश्यों के लिए व्यापार, वाणिज्य और उद्योग को सरल बनाना हैं इसी बात को सुनिश्चित के लिए अधिनियम में पर्याप्त दिशा निर्देश एवं गारंटी दी गयी है। राज्य सरकार ने यह स्थापित किया है कि प्रवेश कर की सम्पूर्ण राशि उ.प्र. राज्य के स्थानीय क्षेत्रों में प्रतिपूर्ति/हर्जाना के माध्यम से इसके देनदारों को गुणात्मक/मात्रात्मक लाभ प्रदान करता है। अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत यह अधिरोपण भेदभावपूर्ण, अतार्किक एवं लोकहित के विरूद्ध नहीं है। अतः अधिनियम के अन्तर्गत कर का अधिरोपण भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत प्रदत्त व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है। अधिनियम की धारा 17 जो उ.प्र. माल प्रवेश कर अधिनियम, 2000 के तहत अधिरोपित, आँकलित, संपादित, संग्रहीत प्रवेश कर की राशि को वैध बनाता है, वह भी वैध है

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और राज्य को प्राधिकृत करती है कि वे राज्य के स्थानीय क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य एवं समागम को सुगम बनाने के लिए सम्पूर्ण धन को इसके उपयोग के उद्देश्यों के लिए बनाए रखे।

152. हम स्पष्टीकरण के माध्यम से यह देख सकते हैं कि इन रिट याचिकाओं में हमने अपना जांच उ.प्र. स्थानीय क्षेत्र माल प्रवेश कर अधिनियम, 2007 के संवैधानिक वैधता और किया इसकी प्रकृति दण्ड़ात्मक है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करता है, तक सीमित कर लिया है। हमने सूचनाओं की वैधता, आँकलन, अवहार, छूट एवं व्यापारियों के दायित्व और अनुसूचित माल के व्यापारियों का प्रवेश कर का भुगतान जैसे अन्य विषयों का परीक्षण नहीं किया है। अन्य सभी प्रश्न अधिनियम के अधीन विधिसम्मत सक्षम प्राधिकारियों के विचार के लिए बने रहेंगे।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

153. परिणामस्वरूप सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। अन्तरिम आदेश दिया जाता है।"

9. अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 23.12.2011 के विरूद्ध ,जो अपीलार्थी की रिट याचिका में निर्णय हुआ था, एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 327 वर्ष 2012 दायर की थी। अपीलार्थी द्वारा प्रत्येक मामले में अधिनियम के तहत 50 प्रतिशत कर दायित्व/बकाया को भुगतान करने एवं चार सप्ताह के भीतर शेष धनराशि जमा करने के संबंध में उच्च न्यायालय के दिनांक 23.12.2011 को पारित निर्णय के प्रवर्तन पर रोक लगाकर उच्च न्यायालय ने निर्णय दिनांकित 23.12.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत अनेक विशेष अनुमति याचिकाओं में अन्तरिम आदेश पारित किया। एस.एल.पी. (सिविल) संख्या 327 वर्ष 2012 में निम्नलिखित आदेश पारित किया गयाः–

"इस मामले में याची की ओर से विद्वत सॉलिसिटर जनरस श्री आर.एफ. नरीमन ने कथन किया था कि इन सभी वर्षों में आँकलनों के माध्यम से बिना किसी प्रमाणीकरण के आँकलन

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अवधियों 2007–2008, 2008–2009, 2009–2010 2010–2011 के लिए स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश कर अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रवेश के भुगतान की मांग करते हुए अन्य सभी बातों के साथ प्रत्यर्थी (गण) ने मांग सूचनाओं को जारी किया है। इस परिस्थिति का सामना करके राज्य–प्रत्यर्थी की ओर से विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के.के. वेणुगोपाल ने कथन किया किया कि वह यह दर्शित करते हुए कि किया याचीगणों ने प्रश्नगत आँकलन वर्ष के लिए मासिक या वार्षिक रिटर्न दाखिल किया है और किया विभाग ने आँकलन पूरा कर लिया है या आधार जिन पर मांग सूचनाओं को जारी की गया है, उचित शपथपत्र दाखिल करेंगे। उक्त शपथपत्र दाखिल करने तक हम इस मामले को दिनांक 12.01.2012 तक स्थगित करते हैं।"

10.अपीलार्थी द्वारा इस एस.एल.पी.(सिविल) संख्या 327 वर्ष 2012 में इस न्यायलय ने आगे आदेश दिनांकित 17.01.2012 एवं आदेश दिनांकित

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

16.02.2012 पारित किया। इस अन्तरिम आदेश में अपीलार्थी को 50 प्रतिशत प्रवेश कर अदा करने का निर्देश दिया गया। दिनांक 06.12.2013 को अपीलार्थी की तरफ से अन्तरिम आदेश में सुधार हेतु प्रार्थना की गयी थी जिसे स्वीकार कर लिया गया जिसका निम्नलिखित प्रभाव हैः–

"सिविल अपील संख्या 3413 वर्ष 2012 में अन्तरिम आदेश संख्या 7 में, अपीलार्थी की ओर से विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर.ए. नरीमन ने हमारे द्वारा पारित आदेश दिनांकित 17.01.2012 को संशोधित करने की निवेदन करते हैं इस अपील के अन्तिम निस्तारण के समय हमने यह देखा कि अपीलार्थी अपील करने में असफल हो चुके हैं इसलिए वह उत्तर प्रदेश प्रवेश कर अधिनयम, 2007 के प्रावधानों के तहत इस न्यायालय द्वारा यथा निर्धारित ब्याज सहित कर के बकाये के भुगतान के दायी होंगे।

विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता की निवेदन तर्कसंगत प्रतीत होती है और यदि इसे अनुदत्त किया जाता है तो इससे प्रत्यर्थीगण का मामला किसी भी तरह से पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं होगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उक्त के दृष्टिगत, हम विद्वत वरिष्ठ अधिवक्ता श्री नरीमन द्वारा की गयी प्रार्थना को स्वीकार करते है।

11. इस प्रकार न्यायालय ने ब्याज, जिसे अपीलार्थी द्वारा दिया जाना था और बाद में निर्धारित किया जाना था, के निर्धारण को छोड़ दिया।

दिनांक 11.11.2016 को **जिंदाल स्टेनलेस लिमिटेड एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य (2017) 12 एस.सी.सी. 1** के मामले में पारित संदर्भ को नौ न्यायधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने निर्णीत किया। इस न्यायलय ने प्रस्तुत संदर्भ का जो उत्तर दिया वह निम्नलिखित हैः–

> "1159. संदर्भ का उत्तर इस न्यायलय ने निम्नलिखित शर्तों के साथ बहुमत से दिया
>
> 1159.1. कर सरलीकरण भारत के संविधान के भाग तेरह के अन्तर्गत नहीं हैं। अनुच्छेद 301 में प्रयुक्त शब्द "मुक्ति" का अर्थ "कर से मुक्ति" नहीं है।
>
> 1159.2. केवल ऐसा कर जिसकी प्रकृति पक्षपातपूर्ण है उसे अनुच्छेद 304(अ) द्वारा निषिद्ध किया गया है। इसका परिणाम

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

यह होता है कि पक्षपातरहित कर के अधिरोपण से संविधान के अनुच्छेद 301 का अतिक्रमण नहीं होगा।

1159.3. अनुच्छेद 304 के उपखण्ड (अ) और (ब) अलग अलग पढ़ा जाना चाहिए।

1159.4. अधिरोपण जिससे अनुच्छेद 304 (अ) का उल्लंघन होता है उसे बचाया नहीं जा सकता है भले ही अनुच्छेद 304 (ब) के तहत प्रक्रिया या इसके अन्तर्गत दिया गया अपवाद संतुष्ट न होता हो।

1149.5. क्षतिपरक कर परिकल्पना **ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट, ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 1406** के मामले में विकसित हुई और वर्तमान मामले में अधिरोपित कर वास्तव में इस कसौटी में खरी उतरती है इस बात का निर्धारण इस मामले को लगातार सुन रही पीठ पर छोड़ दिया गया है।

1161. यह प्रश्न कि किया सम्पूर्ण राज्य को स्थानीय क्षेत्र के तौर पर अधिसूचित किया जा सकता है एवं किया अन्य देश से

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

भारत के भूभाग में माल के प्रवेश पर कर लगाया जा सकता है, इसे उचित न्यायिक कार्यवाहियों द्वारा निर्धारण पर छोड़ा जाता है।

बाद में जिंदाल वाद (2006) एस.सी.सी. 7 241 में इसक संशोधित किया गया और कहा गया यहां कोई विधिक आधार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है।

1159.6. अतियाबारी एआईआर 1961 एस. सी. 232, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्ट एआईआर 1962 एस.सी. 1406 और जिंदाल, (2006) 7 एस.सी.सी. 241 और सभी अन्य निर्णयों में इस न्यायालय के निर्णयों को इस सीमा तक अनुसरण करना है जहां तक वह ऐसा अवलम्ब उलट दिया गया है।

1159.7. प्रयोग, बिक्री एवं उपभोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश पर लगया गया कर स्वीकार्य है यद्यपि उसी तरह माल का वहां उत्पादन न किया जा रहा हो।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

1159.8. अनुच्छेद 304(क) भेदभावपूर्ण है अतः

1160. राज्य के पास पूरा अधिकार् है कि वह यह सुनिश्चित करे कि अन्य राज्य से आयातित माल पर कर का भार और राज्य के अन्दर उत्पादित माल समान कर के दायरे में हों। यदि ऐसा कदम उठाया गया होता तो संविधान के अनुच्छेद 304(क) का भंग न होता। यह प्रश्न कि क्या वर्तमान मामले में जो छूट है वह इस परीक्षा को पास करती हैं कि नहीं, वह इस मामले को सुन रही नियमित पीठ द्वारा निर्धारित की जाए।

1161. यह प्रश्न कि क्या सम्पूर्ण राज्य स्थानीय क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जा सकता है और क्या अन्य देशों से भारत में आयातित माल पर प्रवेश कर में छूट दी सकती है इनको न्यायालय की कार्यवाहियों में निर्धारित किया जाना है।

12. दिनांक 11.11.2016 के नौ न्यायधीशों वाली पीठ के निर्णय पारित किये जाने के पश्चात् मामला नियमित पीठ ने लिया और दिनांक 21.03.2017 के आदेश एवं निर्णय द्वारा इस न्यायालय ने अपीलकर्ताओं

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को अधिनियम 2007 के अन्तर्गत प्रवेश कर की छूट के प्रश्न पर एक नई रिट याचिका के द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष नौ न्यायाधीशों के बेंच के आदेश में छोड़े गये मुद्दों पर दाखिल करने की छूट प्रदान की। अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 25730 वर्ष 2017 दायर की जहां पर आँकलन आदेशो को आनुषंगिक अनुतोष के तौर पर चुनौती दी गयी। अन्य रिट याचिकाएं भी थी। दिनांक 09.11.2017 को कई रिट याचिकाओं के साथ अपीलार्थी की रिट याचिका 25730 वर्ष 2017 को सुना गया और 09.11.2017 को निर्णय सुरक्षित कर लिया गया। कुछ अन्य रिट याचिकाएं थी जिन्हें बंच(समूह) रिट याचिका के साथ सुना गया, एक रिट कर संख्या. 474 वर्ष 2017– **श्री बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, जहां पर ब्याज की मांग की वैधता को अलग से चुनौती दी गयी थी। 09.11.2017 को निर्णय आरक्षित कर उच्च न्यायलय ने ऐसी सभी रिट याचिकाओं को अलग कर दिया जिसमें ब्याज की मांग की वैधता को अलग से चुनौती दी गयी थी। 04.05.2018 को उच्च न्यायलय ने अधिनियम, 2007 को बरकरार रखते हुए रिट याचिकाओं को खारिज कर रिट याचिका

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संख्या 25730 वर्ष 2017 एवं इससे जुड़े अन्य मामलों में निर्णय पारित किया। 04.05.2018 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के तत्काल बाद अपीलर्थी से ब्याज सहित प्रवेश कर जमा करने की अपेक्षा करते हुए आँकलन वर्ष 2008–2009 से 2011–2012 एवं 2000–2001 से 2007–2008 के लिए मांग सूचनाएं जारी की गयी थी। अपीलार्थी ने 1999–2000 से 2001–2012 वर्षों के लिए प्रवेश कर के तौर पर कुल 361.55 करोड़ रूपये चुकाया। जहां तक ब्याज की मांग का प्रश्न था अपीलार्थी ने मांग सूचनाएं दिनांकित 04.05.2018 एवं 05.05.2018 को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की। उन रिट याचिकाओं में से एक में अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका संख्या 757 वर्ष 2018 दायर की गयी जिसमें निम्नलिखित निवेदन किया गया थाः–

> "(i) अभिलेखों की मांग करते हुए और आक्षेपित सूचना दिनांकित 04.05.2018 (संलग्नक–1) जिसे याची से प्रवेश कर की मांग करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा जारी किया गया

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

था, उसको रद्द करते हुए उत्प्रेषण प्रकृति का लेख, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गयी थी।

(ii) प्रत्यर्थियों एवं उनके सेवक, अभिकर्ता, एवं प्रतिनिधि को अधिनियम संख्या 30 वर्ष 2007, आँकलन आदेश और दिनांकित 04.05.2018 के आक्षेपित सूचना के तहत याचिकाकर्ता से किसी भी प्रकार प्रवेश कर पर ब्याज लेने से रोकते हुए प्रतिषेध प्रकृति का लेख, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गयी थी।

(iii) प्रत्यर्थियों द्वारा देय ब्याज उस राशि पर जिसे प्रत्यर्थी ने द्वारा 23.09.2007 तक ब्याज सहित प्रवेश कर का भुगतान कर दिया उसको समाजित करने का आदेश देते हुए परमादेश प्रकृति का लेख, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गयी।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(iv) कोई अन्य लेख, आदेश या निर्देश जारी करने की प्रार्थना की गयी जैसा माननीय उच्च न्ययालय तथ्यों और मामले की परिस्थितियों से उचित समझे।

(v) याचिकार्ता को याचिका से संबंधित खर्चों को प्रदान किया जाए।

13. जब दिनांक 10.05.2018 को मा. उच्च न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई की तो अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलार्थी ने अधिनियम 2007 के अन्तर्गत ब्याज जमा करने के दायित्व को न्यायनिर्णीत करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र देना चाहा क्योंकि कि इस मामले को अपील के अन्तिम निस्तारण के समय निर्णीत किया जाना था किन्तु अभी तक नहीं किया गया।

अपालार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र, जिसकी संख्या 1716 वर्ष 2018 है, निर्देश हेतु दाखिल किया, जिसे न्यायालय ने अपीलार्थी के अधिवक्ता को सुनकर वापस लेने की स्वीकृति प्रदान कर दी और कहा कि ब्याज पर छूट प्रदान करने संबंधी इस मामले को मा. उच्च न्यायलय के समक्ष उठाये।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

14. दिनांक 20.07.2018 के उक्त आदेश के उपरान्त रिट याचिका पर सुनवाई हुई। ब्याज राशि के भुगतान की मांग करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा अन्य मांग सूचना दिनांक 18.05.2018 को जारी की गयी। प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायलय के समक्ष दिनांक 25.07.2018 को इस आधार पर प्राथमिक आपत्ति उठाई कि रिट याचिका एक द्वतीय रिट याचिका है जो उन्ही बातों एवं आनुषंगिक वाद हेतुक पर समान मूल्यांकन आदेश के विरूद्ध है। प्राथमिक आपत्ति में यह कहा गया था कि रिट याचिका संख्या 25730 वर्ष 2017, जिसमें वही अनुतोष मांगे गये थे, को मा. उच्च न्यायलय द्वारा दिनांक 04.05.2018 को पहले ही खारिज कर दिया गया है, जहां मूल्यांकन संबंधी आदेश को भी चुनौती दी गयी थी, इस प्रकार चूंकि यह द्वतीय रिट याचिका है इस नाते इस रिट याचिका को खारिज कियाा जाए कमोंकि यह पोषणीय नहीं है। प्राथमिक आपत्तियों का जवाब अपीलार्थी द्वारा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षकारों को सुनने के उपरान्त आक्षेपित आदेश दिनांकित 22.11.2018 द्वारा रिट याचिकाओं की पोषणीयता संबंधी प्राथमिक आपत्ति को बरकरार रखा और रिट याचिका को खारिज कर दिया गया क्योंकि यह

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पोषणीय नहीं है। उच्च न्यायलय ने रिट याचिकाओं को खारिज करते समय कतिपय अवलोकन किया। दिनांकित 22.11.2018 के निर्णय से पीड़ित अपीलार्थी ने अपील दायर की है।

15. हमने अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता श्री ध्रुव अग्रवाल को सुना है। प्रत्यर्थियों की तरफ से वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेदीीी प्रस्तुत हुए हैं। हमने वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता श्री गुरू कृशन को भी सुना है जो अपीलार्थी की तरफ से एस.एल.पी संख्या 2691 वर्ष 2018 वी.एस. टी इंडस्ट्रीस लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य की तरफ से प्रस्तुत हुए, जिसे अलग से निर्णीत कियाीा जा रहा है।

16. अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता ने कथन किया कि अधिनियम, 2007 के अन्तर्गत प्रवेश कर पर ब्याज के वसूलने संबंधी कोई मौलिक प्रावधान नहीं हैं। चूंकि यहां ब्याज के भुगतान के मौलिक प्रावधान का आभाव है अतः अपीलार्थी से किसी प्रकार ब्याज की मांग नहीं की जा सकती है। यह कथन किया गया कि अधिनियम, 2007 में ब्याज के भुगतान संबंधी उपबंध होते तो उसे दिया गया होता। अधिनियम, 2007 की धारा 12 की उपधारा 3 का

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

संदर्भ दिया गया जहां पर ब्याज सहित कर के भुगतान का दायित्व सृजित किया गया है। यह कथन किया गया कि अधिनियम की धारा 13 जो उत्तर प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 म्यूटे डि स बनाती है, केवल अधिनियम के मशीनी प्रावधानों के लिए प्रायोज्य है और मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 33 जो कर की मांग और वसूली से संबंधित है वह केवल एक मशीनी प्रावधान है जो प्रत्यर्थी को अपीलार्थी ब्याज के दावे का हक प्रदान नहीं करती है। धारा 12 के अलावा अधिनियम के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान संबंधी अन्य मौलिक प्रावधान नहीं हैं। अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत मशीनी प्रावधानों के निर्वचन द्वारा कोई भार सृजित नहीं किया गया है। आगे कथन किया गया कि प्रवेश कर के भुगतान को लेकर डीलर के दायित्व से संबंधित विवाद उच्च न्यायलय में चल रहा था जिसे उच्च न्यायालय ने अन्तिम रूप से दिनांक 04.05.2018 को निर्णीत कर दिया और पाया कि जब अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका दायर की गयी थी जिसमें उसने अधिनियम के *वायर्स* को चुनौती दी थी उसको उच्च न्यायलय ने अन्तिम रूप से खारिज कर दिया था। यहां चूंकि प्रवेश कर के भुगतान संबंधी

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

दायित्व का ही विवाद है इसलिए प्रत्यर्थी प्रवेश कर पर किसी भी ब्याज को वसूलने का हकदार नहीं है। यह कथन किया गया कि चूंकि अधिनियम उच्च न्यायलय द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दिया गया था इसलिए 23.09.2017 तक राज्य द्वारा प्रवेश कर को पुनः प्राप्त करने की शक्ति नहीं थी। अधिनियम, 2007 के बल पर करारोपण को वैध बनाया गया था अतः 24.09.2007 के पहले अधिनियम के पारित होने की तिथि की अवधि तक किसी भी प्रकार के ब्याज के भुगतान का कोई भी दायित्व नहीं था। वर्ष 1999 से अपीलार्थी द्वारा मांगा गया ब्याज पूर्णरूपेण अवैध एवं क्षेत्राधिकार से परे है। न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश, अपीलार्थी द्वारा दाखिल एस.एल.पी संख्या 327 वर्ष 2012 में पारित दिनांकित 06.12.2016 का आदेश शामिल है, जहां पर इस न्यायलय ने दिनांक 06.12.2013 को एक आदेश पारित किया था जिसमें यह निर्देश देते हुआ कहा था कि अपीलार्थी ब्याज सहित कर जो कि न्यायलय द्वारा अधिनियम के प्रावधानों द्वारा तय किये जा सकेंगे, के बकाए के भुगतान का दायी होगा। यह कहा गया कि न तो दिनांक 11.11.2016 को नौ न्यायमूर्तियों वाली संवैधानिक पीठ ने अपने के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

निर्णय में और न ही नियमित पीठ जो दिनांक 21.03.2017 को अपील का निस्तारण कर रही थी, ब्याज के दायित्व संबंधी प्रश्न पर विचार किया न तो उसका निस्तारण किया। दिनांक 21.03.2017 को उच्च न्यायलय ने अपने निर्णय में अपीलार्थी पर आरोपित ब्याज के दायित्व संबंधी प्रश्न पर विचार नहीं किया और केवल तीन बिन्दुओं तक स्वयं को सीमित रखा जो निर्णय में लिखे गये हैं। रिट याचिका जिसमें अलग से ब्याज की मांग को चुनौती दी गयी थी, उसे हटा दिया गया था, जिसने उच्च न्यायलय के रुख को स्पष्ट कर दिया कि उच्च न्यायलय का न तो ऐसा करने का आशय था और न ही दिनांक 04.05.2018 को निर्णीत समूह रिट याचिकाओं में ब्याज विषयक मामले का सचमुच निपटारा किया था। दिनांक 04.05.2018 के अपने निर्णय में अधिनियम, 2007 के तहत ब्याज के दायित्व को निर्णीत न कर उच्च न्यायलय ने अपने आक्षेपित निर्णय में यह धारित करते हुए कि दिनांक 04.05.2018 का निर्णय अपीलार्थी द्वारा दायर बाद की रिट याचिका जहां पर ब्याज को जमा करने की सूचनाएँ, प्रांगन्याय की तरह कार्य करेगा, प्रत्यर्थी के आक्षेपों को प्राथमिक तौर स्वीकार करने में गलती की है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

17. श्री अग्रवाल ने आगे कथन किया कि चूंकि अधिनियम, 2000 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है अतः जिस दिन यानी 24.09.2007 को अधिनियम 2007, लागू किया गया था उससे पहले किसी भी प्रकार के ब्याज के भुगतान का दायित्व नहीं बनता। आगे कथन किया गया कि अधिनियम, 2007 को अपीलार्थियों द्वारा तुरन्त चुनौती दी गयी थी जिसे दिनांक 23.12.2011 को उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने बरकरार रखा था। उक्त तिथि के पहले उच्च न्यायलय ने प्रवेश कर विधानयन से संबंधित कई विषयों को पहले ही बड़ी पीठ को संदर्भित कर दिया है। नौ न्यायमूर्तियों वाली बड़ी पीठ ने इस संदर्भ को 11.11.2016 को ही निर्णीत कर दिया था। बड़ी पीठ ने पचास वर्षों से अधिक समय से चले आ रहे विधि को उलट दिया था। इस विधिक अनिश्चितता के परिणामस्वरूप ब्याज के भुगतान के दायित्व को अपीलार्थी के सर पर नहीं मढ़ा जा सकता है। यह कथन कियाा गया कि आखिरकार खण्ड़पीठ ने उदार भाव अपनाते हुए दिनांक 04.05.2018 को इस अधिनियम को वैध घोषित कर दिया। यह कथन किया गया कि उक्त अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के ब्याज के भुगतान से

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अपीलार्थी को छूट होगी। यह कथन किया गया कि दिनांक 04.05.208 को रिट याचिका के खारिज हो जाने के उपरान्त अपीलार्थी ने तत्काल पूरे प्रवेश कर का भुगतान कर दिया था। यह कथन किया गया कि चूंकि अपीलार्थी एक पब्लिक कॉरपोरेशन है इसलिए उसपर ब्याज की इतने बड़े दायित्व का बोझ नहीं ड़ाला जा सकता है नहीं तो इससे उसकी कार्यप्रणाली बुरी तरह से प्रभावित होगी।

18. प्रत्यर्थियों के वरिष्ठ विद्वत अधिवक्ता श्री दिनेश द्विवेर्दीी ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए कथन प्रस्तुत किया कि रिट याचिका के पोषणीय न होने के कारण उच्च न्यायालय ने इस ठीक ही खारिज कर दिया है। यह कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा दायर रिट याचिका संख्या 25730 वर्ष 2017 में जो निवेदन किया गया था उसमें से एक निवेदन प्रवेश कर सहित ब्याज को निर्धारित करने के मूल्यांकन आदेश को समाप्त करने का था और भले ही उच्च न्यायलय की खण्ड़पीठ द्वारा दिनांक 04.05.2018 ब्याज की देयता संबंधी प्रश्न को न निर्धारित किया गया हो इसलिए विवक्षित पूर्व न्याय का सिद्धान्त अपीलार्थी को बाद की रिट याचिका द्वारा ब्याज की मांग

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

को चुनौती देने से रोकते हुए लागू होगा। यह कथन किया गया कि उच्च न्यायलय ने सही ही प्रत्यर्थियों की प्राथमिक आपत्तियों को स्वीकार किया और धारित किया कि रिट याचिका पोषणीय नहीं है। श्री द्विवेदीीी ने अपीलार्थी के मामले के गुणागुण की पर कथन प्रस्तुत किया। यह कथन किया गया कि उक्त अधिनियम में ब्याज लगाने के मौलिक प्रावधान हैं। उन्होंने कथन किया कि उक्त अधिनियम की धारा 13 के आधार पर उ.प्र. व्यापार कर अधिनियम 1948 मूल्य वर्धित कर 2008 को अपनाया गया है जिसमें ब्याज के भुगतान के प्रावधान दिये गये हैं। उ.प्र. व्यापार कर अधिनियम 1948 की धारा 8 और मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2008 की धारा 33 उपबंध करती है कि जब डीलर कर चुकाने में असफल हो जाता है तो उससे ब्याज को वसूला जाए कर और वह इस अधिनियम के तहत ब्याज के भुगतान का दायी होगा। इस प्रकार अपीलार्थी का कथन कि इस अधिनियम के तहत ब्याज लगाने का के मौलिक प्रावधान नहीं हैं, वह निराधार है। आगे यह कथन किया गया कि दिनांक 23.12.2011 को उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर विशेष अनुमति

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

याचिका में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश का अपीलार्थी ने लाभ उठाया चुका है और अब वे ब्याज देने की क्षमता को चुनौती देने से रोक दिये जाते हैं। उक्त अधिनियम की धारा 17 ब्याज की छूट को वैध बना दिया गया है। उक्त अधिनिमय को दिनांक 01.11.1999 से भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावित है अतः अपीलार्थी प्रवेश कर एवं ब्याज के भुगतान का दायी है। प्रवेश कर का दायित्व उक्त अधिनियम से उत्पन्न होता है और उ.प्र. प्रवेश कर नियमावली, 2007 को उसी के अधीन बनाया गया है। प्रवेश कर के भुगतान न किये जाने ब्याज की अवधारणा विकसित होती है। श्री द्विवेदी ने क्षतिपूर्ति के सिद्धान्त का अवलम्ब लिया है। अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत जो दायित्व है वह अधिनियम, 2007 के अधीन उत्पन्न माना जाएगा। दिनांक 04.05.2018 को रिट याचिका के खारिज हो जाते ही ब्याज संबंधी यह विषय अन्तिम रूप से बंद हो जाता है। न्यायालय के दिनांक 10.01.2012 एवं 17.01.2012 के अन्तरिम आदेश के पारित किये जाने के उपरान्त प्रवेश कर को भागतः जमा कर दिया गया और शेष कर को केवल उच्च न्यायालय के दिनांक 04.05.2018 के निर्णय के बाद जमा किया गया। वैध

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

छूट के बावजूद अपीलार्थी द्वारा कर के भुगतान को रोका गया था। अपीलार्थी ने वाद दायर किया और रोके गये धन का प्रयोग किया। छूट जिसको वैध बताया गया है वह बकाये की तिथि से वैध है न कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की तिथि से। अतः अपीलार्थी ब्याज के भुगतान का विधि के अधीन दायी है न कि साम्यिक आधार पर। स्टे आदेश के दौरान ब्याज को जमा करने का दायित्व वैध है क्योंकि ब्याज अन्तरिम आदेश के पारित किये जाने से रुक नहीं जाता है। ब्याज साम्यिक आधारों पर लगाया जाए। कर पर ब्याज की देयता एक संचयन है और ब्याज के दायित्व को बढ़ाता है। वर्तमान मामले में विलम्बित भुगतान पर ब्याज का दायित्व विधि द्वारा विहित है।

19. हमने पक्षकारों की ओर से विद्वत अधिवक्ता के कथनों को सुना और अभिलेखों का अवलोकन किया।

20. पक्षकारों के विद्वत अधिवक्ता के कथनों एवं अभिलेख में की गयी प्रार्थनाओं से विदित होता है कि अपील में निम्नलिखित प्रश्न हैं जिन पर हमको विचार करना हैः–

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(1) किया अपीलार्थी द्वारा दायर रिट सं. 757 वर्ष 2018 एवं अन्य रिट याचिकाएँ रिट याचिका संख्या 25730 वर्ष 2017 में उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 04.05.2018 को पारित निर्णय के उपरान्त दिनांक 04.05.2018 एवं 05.05.2018 के मांग सूचनाओँ को चुनौती देते हुए जारी की गयी दिनांक 04.05.2018 को रिट याचिका संख्या 25730 वर्ष 2017 के खारिज किए जाने के आलोक में प्रांगन्याय के सिद्धान्त द्वारा बाधित है?

(2) किया अधिनियम, 2007 में ब्याज लगाने के कोई मौलिक प्रावधान नहीं है?

(3) किया 1.11.2019 से 23.09.2007 की अवधि यानी अधिनियम, 2007 के प्रभाव के समय, जिसको उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था, उस दौरान अपीलार्थी पर लगाये प्रवेश कर पर ब्याज को देने का दायी था?

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(4) ब्याज के भुगतान की देयता किया हो सकती है जिसके साथ उस अवधि के उपरान्त जो 24.09.2007 से प्रभावी है अपीलार्थी को दुःखी किया जा सकता है?

(5) यदि कोई अनुतोष जिसका अपीलार्थी हकदार है?

<u>प्रश्न संख्या.1</u>

21. प्रत्यर्थी द्वारा उठाये गये प्रागन्याय पर आधारित प्राथमिक आपत्ति को रिट याचिका संख्या 25730 वर्ष 2017 में दिनांक 04.05.2018 को उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलम्ब लेते हुए स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। हमें सबसे पहले रिट संख्या 25730 वर्ष 2017 में की प्रार्थनाओं पर विचार करना होगा। ये प्रार्थनाएं निम्नलिखित हैं–

> "(क) यह कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल प्रवेश कर अधिनिमय, 2007 को अमान्य, शून्य एवं असंवैधानिक घोषित करते हुए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जहां तक कि मथुरा रिफायनरी

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

के लिए भारत में आयातित कच्चे तेल के लिए करारोपण के लिए दावा हो।

(ख) यह कि प्रत्यर्थियों, उनके सेवकों, अभिकर्ताओं एवं उनके प्रतिनिधियों को अधिनियम के अन्तर्गत याचिकाकर्ता से किसी भी तरह का प्रवेश कर वसूलने से रोकते हुए परमादेश प्रकृति का उचित रिट, आदेश या निर्देश किया जाए।

(ग) यह कि अभिलेख की मांग करते हुए और परिशिष्ट 3 से 11 तक के मूल्यांकन आदेशों को समाप्त करते हुए प्रतिषेध लेख की प्रकृति का उचित रिट या आदेश किया जाए।

(घ) यह कि आक्षेपित मूल्यांकन आदेशों के अन्तर्गत प्रत्यर्थियों को आगे की कदम या कार्यवाही उठाने से रोकते हुए/निषेधित करते हुए निषेधात्मक या परमादेश प्रकृति का रिट आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ड़) यह कि आक्षेपित अधिनियम के अन्तर्गत प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान किये गये प्रवेश कर को वापस करने संबंधी उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(च) यह कि मामले के तत्थों एवं परिस्थितियों में, जैसा माननीय न्यायालय उचित न्यायाचित समझे, उचित आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(छ) याचिकार्ता को याचिका के खर्चों को प्रदान किया जाए।

22. जैसा कि उपरोक्त वर्णित है न्यायालय ने अपने आदेश दिनांकित 21.03.2017 द्वारा अपीलार्थी का छूट प्रदान की थी। अपीलार्थी को जो छूट प्रदान की गयी थी वह नौ न्यायमूर्तियों वाली संवैधानिक पीठ द्वारा सुना जाना था और उसपर ध्यान दिया गया। कुछ निम्नलिखित पहलू हैं जो संवैधानिक पीठ की समक्ष रखे गये किन्तु उस पर निर्णय नहीं हो पायाः

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(क) किया प्रवेश कर के उद्देश्यों के लिए पूरे राज्य को स्थानीय क्षेत्र के तौर पर लिया जाए।

(ख) किया प्रवेश कर को उन सभी मालों पर लगाया जा सकता है जिन्हें अन्य देशों से आयातित किया जाता है और किसी विशेष राज्य लाया जाता है।

(ग) कुछ राज्यों द्वारा अधिनियमित अधिनियमों में,.....

23. आखिरकार, दिनांक 21.03.2017 को इस न्यायालय ने उक्त बिंदुओं को संदर्भित करते हुए निम्नलिखित छूट प्रदान कीः

उक्त के संदर्भ में हमारे अनुसार अपीलार्थी को उचित कार्यवाहिया करने हेतु 31 मई 2017 तक हमारे विचार हेतु आवश्यक तथ्यात्मक आधारों अन्य संवैधानिक बिंदुओं के साथ उक्त प्रश्नों को उठाते हुए नयी रिट याचिका दायर करने की छूट होगी।

24. उक्त दिनांकित 21.03.2017 प्रदत्त छूट के के अन्तर्गत अपीलार्थी द्वारा रिट संख्या 25730 दाखिल की गयी थी। रिट याचिका में की गयी

उद्घोषणा

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मुख्य प्रार्थनाएं एवं आधारों का संबंध अधिनियम, 2007 के तारों के चुनौती देने से संबंधित है। रिट याचिका में जिस निर्देश की मांग की गयी थी वह मथुरा रिफायनरी के भारत आयातित कच्चे तेल पर प्रवेश कर के परपोर्ट्स में अधिनियम, 2007 को अप्रभावी, शून्य और असंवैधानिक घोषित करने के लिए था। मूल्यांकन आदेश को समाप्त करने की प्रार्थना जो रिट याचिका में परिशिष्ट 3 से 11 है, सहित आगे जो रिट याचिका में अनुतोष मांगा गया था वह मूल्यांकन आदेश 1999–2000 से 2011–2012 है। यह भी ध्यान देना प्रासांगिक है कि ब्याज को भी चुनौती दी गयी थी। निम्नलिखित बातें रिट याचिका के प्रस्तर 33 और 34 में कहीं गयी थीः

> 33. यह कि उक्त के दृष्टिगत, यह कथन किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के नौ जजों की पीठ द्वारा अतियावारी वाद और ऑटोमोबाइल का वाद उलट दिया गया है, अतः अपीलार्थी से 11.11.2016 की अवधि से पहले के लिए ब्याज और अर्थदण्ड़ की मांग नहीं की जा सकती थी क्योंकि याचिकाकर्ता ने विधिसम्मत कार्य किया है, और जिसको

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उच्चतम न्यायालय की संवौधानिक पीठ ने पहले ही घोषित कर चुका है, जो भूमि विधि के नाते घोषित किया गया है। अतः उच्चतम न्यायलय का मानना है कि जब बाद में विधि को उलट दिया गया हो और याचिकाकर्ता विधिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य कर रहा था, और जैसा कि विवाद के दौरान था, उसे बाद हुए विधि में परिवर्तन के कारण कष्ट नहीं भोगने दिया जाएगा।

34. यह कि उक्त के पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना, यह कथन किया गया कि यहां तक कि अन्यथा ब्याज, यदि कोई हो, मूल्यांकन आदेश पारित होने की तिथि से पहले अपीलार्थी पर नहीं आरोपित किया जा सका।

25. दिनांक 04.05.2018 के उच्च न्यायालय के निर्णय के अवलोकन के यह परिलक्षित होता है कि खण्ड़पीठ ने प्रस्तर 40 में यह दृष्टिकोण लिया कि खण्ड़पीठ को दिनांक 21.03.2017 नियमित पीठ के निर्णय से यथा दर्शित आधारों की चुनौतियों से निपटना है। जिसका निम्नलिखित प्रभाव हैः

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

40. इस प्रकार इन याचिकाओं की पोषणीयता को रद्द करते हुए हम स्वंय को दिनांक 21 मई 2017 को पूर्ण पीठ द्वारा पारित निर्णय तक सीमित रखना चाहेंगें। हम आगे पाते हैं, एक बार पुनः पुनर्याचना की कीमत पर, अधिनियम, 2007 को जो चुनौती दी गयी थी उसपर आटीसी लिमिटेड के मामले में इस खण्ड़पीठ द्वारा अधिनियम के क्षतिपूरक प्रकृति सहित सभी आधारों पर विचार किया गया था। नौ जजों वाली पीठ के मतानुसार जिसमें अधिनिमय के कम्पनसेटरी सिद्वान्त को पूरी तरह हटा दिया गया था, इसलिए हमें उच्चतम न्यायालय के नियमित पीठ द्वारा गठित प्रश्नों में दर्शित आधारों तक सीमित चुनौती पर विचार करना चाहिए। संक्षेप में और तथ्यतः हम पाते हैं कि हमें उस चुनौती से निपटना होगा जो केवल जिंदाल स्टेनलेस स्टील–2 में नौ जजों वाली पीठ के निर्णय के आलोक में दिनांक 23.03.2017 के नियमित पीठ के निर्णय में यथा दर्शित आधारों पर हैं।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

26. अतः खण्ड़पीठ ने उच्चतम न्यायालय की नियमित पीठ द्वारा गठित प्रश्नों में दर्शित आधारों तक सीमित प्रतिफल तक सीमित कर लिया। इस प्रकार खण्ड़पीठ ने प्रतिफल को तीन प्रश्नों तक सीमित कर लिया जैसा कि हमने दिनांक 21.03.2017 के इस न्यायालय के निर्णय से लिया है। खण्ड़पीठ ने ब्याज के प्रश्न सहित किसी अन्य प्रश्न को विचारित करने की स्पष्ट अनुज्ञा नहीं दी जो दिनांक 04.05.2018 के निर्णय से स्पष्ट है। स्पष्टतः यह कथन कियाा गया है कि जब रिट याचिका संख्या 25730 वर्ष 2017 सहित अन्य रिट याचिकाओं में दिनांक 09.11.2017 को निर्णय को आरक्षित कियाा गया था तो उन रिट याचिकाओं में जहां ब्याज के आरोपण को अलग से चुनौती दी गयी थी उसे हटा दिया गया था। दिनांक 09.11.2017 को रिट संख्या 474 वर्ष 2017 श्री बिरला कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में पारित निर्णय को संलग्नक पी–24 के रूप में अभिलेख पर लाया गया है जहां पर खण्ड़पीठ ने आदेश दिया किः इस याचिका को बंच से हटाया जाए और इसे उचित पीठ के समक्ष उठाया जाए।

27. विशिष्ट आधार संख्या एल को लिया गया जो निम्नलिखित हैः

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(ठ). न्यायालय ने यहां तक दिनांक 09.11.2017 को सिविल रिट संख्या 25730 वर्ष 2017 एवं इससे संबंद्ध मामलों को आरक्षित करते समय ऐसी सभी रिट याचिकाओं जिसमें प्रवेश कर पर ब्याज की मांग को चुनौती दी गयी थी, उन सभी को इन रिट याचिकाओं से हटा दिया था।

28. पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने हमारे समक्ष यह स्वीकार किया है कि रिट याचिका संख्या 474 वर्ष 2017 जिसको रिट याचिका संख्या 25730 वर्ष 2017 के समूह से हटाया गया था, वह उच्च न्यायालय के विचार हेतु अभी भी लम्बित है। वर्तमान मामला ऐसा मामला जहां पर रिट याचिका संख्या 25730 वर्ष 2017 का निस्तारण करते समय खण्ड़पीठ ने अपने आपको तीन प्रश्नों तक सीमित कर लिया जैसा कि दिनांक 21.03.2017 को इस न्यायालय के निर्णय में उल्लेख किया गया है, और न्यायालय ने इन तीन प्रश्नों के अलावा अन्य प्रश्न को उठाने जाने की अनुज्ञा नहीं दी। यह विषय जो कि दिनांक 04.05.2018 के निर्णय द्वारा निर्णीत करने की स्पष्ट तौर पर अनुज्ञा नहीं दी गयी है इसलिए यह अपीलार्थी द्वारा दायर बाद की रिट याचिका में पूर्व न्याय की तरह कार्य नहीं करेगा जहां पर ब्याज की छूट को चुनौती दी

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

जा चुकी है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण 4 का अवलम्ब लिया है जो इस प्रकार हैः–

> " धारा 11. पूर्व न्यायः कोई भी न्यायालय ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा जिसमें प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य विषय उसी हक के अधीन मुकदमा करने वाले उन्हीं पक्षकारों के बीच के या ऐसे पक्षकारों के बीच के, जिसमें वियुत्पन्न अधिकार के अधीन वे या उसमें कोई दावा करते हैं, किसी पूर्ववर्ती न्यायालय में भी ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है, जो ऐसे पश्चात्वर्ती वाद का या उस वाद का, जिसमें ऐसा विवाद्यक वाद में उठाया गया है विचारण करने के लिए सक्षम था और ऐसे न्यायालय द्वारा सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है।
>
> xxx xxx xxx
>
> स्पष्टीकरण 4. किसी ऐसे भी विषय के बारे में, जो ऐसे पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

और बनाया जाना चाहिए था, यह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य रहा है।

29. स्पष्टीकरण 4 जो उपबंधित करता है वह यह है कि जो विवाद्यक पूर्व वाद में उठाये गये थे वे उस व्यक्ति के विरूद्ध विचारित एवं निर्णीत माने जाएंगे जो बाद वाले वाद में ऐसे विवाद्य को उठाता है। वर्तमान मामला ऐसा है जहां पर ब्याज पर जो छूट प्रदान की गयी है उसपर आपत्ति उठाते हुए निवेदन अपीलार्थी द्वारा रिट याचिका के प्रस्तर 33–34 में किया गया है जो ऊपर उल्लिखित है। खण्ड़पीठ ने ऐसे दलीलों पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया क्योंकि न्यायालय ने स्वयं को उपरोक्त उल्लिखित तीन प्रश्नों तक स्वयं को सीमित कर लिया है। उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ ने ऐसे दलीलों को नहीं माना क्योंकि न्यायालय द्वारा तीन प्रश्नों तक विचारण सीमित है। उक्त तथ्यों परिस्थितियों में हमारा यह मानना है कि बाद की रिट याचिका जहां पर ब्याज की छूट की दलील दी गयी थी उसे पूर्व न्याय के आधार पर नहीं छोड़ा जा सकता था। घटनाओं का क्रम और रिट याचिका को मुख्य समूह से हटाने का तथ्य जहां अलग से ब्याज को चुनौती दी गयी थी, स्पष्टतः

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

इंगित करता है कि खण्ड़पीठ जिसमें दिनांक 09.11.2017 को निर्णय को आरक्षित किया था स्पष्ट रूप से बंच में ब्याज के भुगतान के दायित्व के प्रश्न को जारी नहीं रखने का आशय है जो दिनांक 09.11.2017 को आरक्षित किया गया था। जब उच्च न्यायालय उपरोक्त उल्लिखित तीन मुद्दों के विचारण को अभिव्यक्त रूप से प्रतिबंधित किया है,तो प्रलक्षित पूर्व न्याय की दलील को अपीलकर्ता के विरूद्ध प्रश्न उठाने से उसे रोकने के लिए नहीं लगाया जा सकता है जो रिट याचिका संख्या 25730 वर्ष 2017 में अभिव्यक्त रूप से दलील देने के लिए अनुज्ञेय नहीं था।

30. यहां एक अन्य कारण है जिसके चलते हम प्रवेश कर पर ब्याज को जमा करने के अपीलार्थी के दायित्व के प्रश्न के विचारण को बंद नहीं करते हैं। उपरोक्त वर्णित मामले के तथ्यों से स्पष्ट होता है कि दिनांक 06.12.2013 को पारित इस न्यायालय के आदेश में, जब न्यायालय सिविल अपील संख्या 3413 वर्ष 2012 में पारित अन्तरिम आदेश को संशोधित कर रहा था, न्यायालय ने अवलोकन किया कि यदि "अपील में अपीलार्थी असफल हो जाता है तो वह अपील के अन्तिम निस्तारण के समय उ.प्र. प्रवेश कर

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के अधीन, जैसा न्यायालय निश्चित करे, ब्याज सहित कर के बकाये के भुगतान का दायी होगा। जब अपील संख्या 3413 वर्ष 2012 इस न्यायालय द्वारा अन्तिम रूप से दिनांक 21.03.2017 निर्णीत कर दिया गया तब उच्च न्यायालय द्वारा विचारित किये जाने के लिए यहां उल्लिखित मुद्दों को उठाते हुए अपीलार्थी को छूट प्रदान की गयी। दिनांक 21.03.2017 के आदेश में, प्रवेश कर अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत अपीलार्थी द्वारा भुगतान किये जाने वाले ब्याज के संबंध में कोई संकल्प नहीं थी। हालांकि जब अपीलार्थी को न्यायालय द्वारा आवश्यक तथ्यातमक अथवा अन्य संवैधानिक/सांविधिक आधार उक्त वर्णित तीन मुद्दों को उठाने की छूट प्रदान की गयी, जो विचार करने हेतु उत्पन्न हुए हैं, तब उच्च न्यायालय उक्त अधिनियम के तहत अपीलार्थी द्वारा ब्याज के भुगतान करने के दायित्व संबंधी प्रश्न पर विचार करने को स्वतंत्र था।

31. आगे जो ब्याज की आदायगी की योजना है वह एक ऐसा प्रश्न है, वह अधिनियम, 2007 के निर्वचन एवं उसके तहत बनाये गये नियमों पर निर्भर करता है। इस मुद्दे को नियमों और अधिनियम के उचित कार्यान्वयन हेतु निर्धारित करने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में हम इस न्यायालय द्वारा **श्री भगवती स्टील रोलिंग मिल बनाम कमिश्नर सेण्ट्रल एक्साइज एवं अन्य 2016.**

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

3 एसएससी 6643 के मामले में पारित निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगें जहां पर सेंट्रल एक्साइज 1944 के अन्तर्गत नियम 96-जेड ओ, 96-जेडपी एवं केंद्रीय एक्साइज नियमावली 1944 के नियम 96-जेडओ के प्रावधानों के अन्तर्गत ब्याज का अधिरोपण एवं उक्त प्रश्न को उठाने की स्वीकृति देने के क्षेत्राधिकार से संबंधित है। इसको इस न्यायलय प्रस्तर-29 में प्रतिपादित किया है:

> "29.हमारा यह भी मानना है कि चूंकि यह प्रश्न ब्याज के आरोपण से जुड़ा विस्तृत क्षेत्राधिकार का है और इस न्यायलय के संवैधानिक पीठ के निर्णय से आच्छादित है। यदि हम श्री अग्रवाल को ब्याज जमा करने की अनुज्ञा देगें तो न्याय का मजाक बनेगा।"

32. अतः हम मानते हैं कि अधिनियम, 2007 की योजना के अन्तर्गत प्रवेश कर पर ब्याज की आदायगी की सीमा और विस्तार से संबंधित प्रश्न को इस न्यायालय द्वारा इन अपीलों में जाँच की जानी चाहिए। उक्त चर्चाओं के दृष्टिगत हमारा विचार है कि मा. उच्च न्यायलय ने आक्षेपित निर्णय में प्रत्यर्थी की

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्राथमिक आपत्तियों पर ध्यान न देकर जो निर्णय पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण है।

हमारे विचार में अधिनियम, 2007 की योजना के अन्तर्गत प्रवेश कर पर ब्याज की दायित्व की सीमा एवं विस्तार से संबंधित प्रश्न को इन अपीलों में जाँच करने एवं उसका उत्तर दिये जाने की आवश्यकता है। तदनरूप इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है।

<u>प्रश्न सं. 2</u>

33. अपीलार्थी ने कहा कि अधिनियम के अन्तर्गत प्रवेश कर पर ब्याज उसके द्वारा देय नहीं है और अधिनियम में बकाये पर ब्याज के आरोपण से संबंधित कोई मौलिक प्रावधान नहीं है। यह कहा गया कि धारा 12(3) के अन्तर्गत प्रवेश कर पर ब्याज को वहाँ विचारित किया जा सकता है जहाँ पर कर के साथ ब्याज एवं दण्ड पर ध्यान दिया जाता है और जहाँ पर कोई निर्माता धारा 12 के अन्तर्गत कर के भुगतान में असफल रहता है। उन्होंने यह कहा कि अधिनियम में ब्याज के अधिरोपण का कोई मौलिक प्रावधान नहीं है। यह कहा गया कि धारा 13 उ.प्र. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 के मौलिक

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्रावधानों पर लागू होती है, किन प्रावधान को सर्वश्रेष्ठ मशीनरी प्रावधानों पर लागू होना कहा जा सकता है और किनको उन प्रावधानों की प्रायोज्यता ब्याज से संबंधित मौलिक प्रावधानों की पर लागू होना नहीं कहा जा सकता है। न्यायलय के समक्ष किये गये कथनों पर विचार कर हमें सबसे पहले अधिनियम के प्रावधानों पर ध्यान देने की ज़रूरत है जो वर्तमान विवाद से तर्कसंगत हैं। अधिनियम की धारा 4 कर के अधिरोपण से संबंधित है। धारा 4(1) प्रावधान करती है कि राज्य के व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग कि उन्नति के लिए सरकार ,विहित रूप में, सूचना जारी करके, माल की कुल कीमत का पांच प्रतिशत से अनधिक उस स्थानीय क्षेत्र के बाहर से विहित रूप से उस स्थानीय क्षेत्र में अनुसूचित माल के उपभोग एवं विक्रय हेतु प्रवेश पर कर अधिरोपित कर सकती है एवं उसको वसूल सकती है।

34. धारा 9 रिटर्न जमा करने एवं कर के मूल्यांकन से संबंधित है। धारा 10 कर के अस्थाई मूल्यांकन से संबंधित है। धारा 12 निर्माता से कर की प्राप्ति से संबंधित है। धारा 12 (1), (2) इस प्रकार हैं-

"12. निर्माता से कर की प्राप्ति

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति किसी माल, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूची में निर्दिष्ट किया जाए, को किसी निर्माता से राज्य के अन्दर किसी स्थानीय क्षेत्र में लाना चाहता है, माल की डिलीवरी लेते समय निर्माता को स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर देय कर का भुगतान करेगा और निर्माता ऐसे कर को प्राप्त करेगा। जब तक क्रेता द्वारा ऐसे कर का भुगतान नहीं कर दिया जाता तब तक निर्माता ऐसे माल को सुपुर्द नहीं करेगा।

(2) निर्माता, जिसने उपधारा (1) के अन्तर्गत कर को प्राप्त किया है, उपधारा 1 के अन्तर्गत उसके द्वारा आपूर्त माल एवं प्राप्त कर को जमा करेगा और विहित समय के अन्दर ऐसी रीति से कर का भुगतान करेगा।

(3) जहाँ पर कोई निर्माता इन धारा के अधीन कर के भुगतान में असफल रहता है तो वह कर सहित ब्याज एवं दण्ड के भुगतान

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

का, यदि कोई भू-राज्स्व के रूप में बकाये के रूप में वसूली योग्य हो, दायी होगा।

xxx.....xxx.....xxx

"35. अगला प्रवधान जिसपर हमारा ध्यान गया वह 13 है जो उ. प्र. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 कतिपय प्रवधानों की प्रायोज्यता गयी है जहां तक धारा 13 की प्रासांगिकता का प्रश्न है वह निम्नांकित हैः-

"13. उ. प्र. व्यापार कर अधिनियम, 1948 के कतिपय प्रावधानों की प्रायोज्यता- उ. प्र. मूल्य वर्धित अधिनियम, 2008 के निम्नलिखित प्रावधान इन अधिनियम के अन्तर्गत सभी डीलरों और कार्रवाहियों पर यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगेः-

(i) धारा 9- फर्म की दायित्व, व्यक्तियों के संघ एवं अविभाजित हिन्दू परिवार से संबंधित है।

(ii) धारा 10- मृतक द्वारा बकाया कर उसके प्रतिनिधि द्वारा देय होगा।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

(iii) धारा 11- नाबालिग एवं अक्षम व्यक्ति के मामले में कर का दायित्व।

(iv) धारा 12- कोट्र्स ऑफ वाड्र्स के मामले में कर का दायित्व।

(v) धारा 16- सबूत का भार।

(vi) धारा 19- राजस्व के हित में सुरक्षा।

(vii) धारा 21- खाता एवं प्रपत्रों का डीलरों द्वारा बनाया जाना।

(viii) धारा 29- मूल्यांकन से बचे हुए कुल कर का मूल्यांकन।

(ix) धारा 30- कुल कारोबार एवं कर का आंकलन।

(x)धारा 31- भूल सुधार।

(xi) धारा 32- एक पक्षीय मूल्यांकन एवं दण्ड को अपास्त करने की शक्ति।

(xii) धारा 33- कर का भुगतान एवं वसूली।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

xxx.....xxx.....xxx

36. अब अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के कथनों से यह विदित होता है कि के अधिनियम, 2007 के तहत ब्याज के भुगतान से संबंधित प्रावधान मौलिक हैं तथा धारा 12 में दिये गये हैं। धारा 12 निर्माता द्वारा कर की प्राप्ति से संबंधित है। धारा 12(1) कहती है कि यदि कोई निर्माता राज्य के अन्दर कहीं से भी किसी माल, जैसा कि राज्य सरकार अनुसूची में निर्दिष्ट करे, किसी स्थानीय क्षेत्र में लाना चाहता है तो क्रेता को माल को लेते समय ऐसे स्थानीय क्षेत्र में माल पर देय प्रवेश कर निर्माता को देना होगा। धारा 12(2) उस व्यक्ति पर दायित्व आरोपित करती है जो अनुसूची में निर्दिष्ट किसी माल को किसी स्थानीय क्षेत्र में लाना चाहता है और भुगतान का समय वैधानिक रूप से वही अभिनिर्णीत है जो सामान लेने का समय है। धारा 12(1) ऐसी परिस्थिति को दर्शाती है जहां यद्यपि निर्माता धारा 12(1) के अन्तर्गत कर प्राप्त किया है किन्तु धारा 12(2) के अनुरूप करे को चुकाने में असफल रहा है तो वह ब्याज सहित कर के भुगतान का दायी होगा। अतः धारा 12(3) केवल एक विशिष्ट परिस्थितित तक सीमित है और धारा 12 ब्याज के भुगतान के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

किसी सार्वभौमिक अनुप्रयोग के लिए नहीं है। अतः धारा 12(3) के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान करने की जरूरत एक विशेष परिस्थिति के लिए है और कर के भुगतान के दायित्व से किसी अन्य उदाहरण के संबंध में इसका अनुप्रयोग नहीं है। प्रस्तुत मामला ऐसा है जहां अपालार्ती किसी निर्माता से की माल नहीं ले रहा है, अतः वर्तमान मामले में धारा की कोई प्रायोज्यता नहीं है।

37. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने **जे.के. सिन्थेटिक्स लिमिटेड बनाम कामर्शियल टैक्सेज ऑफीसर्स, (1994) 4 एस.एस.सी 276** के इस संवैधानिक पीठ के निर्णय में भरोसा जताया है। संविधान पीठ के पैरा 16 में निम्नलिखित निर्णय पारित किया गया हैः

> "16. यह सर्वविदित है कि जब किसी विधान में कर के अधिरोपण का प्रावधान किया जाता है और विधान में कर वसूलने की धारा समाहित कर दायित्व का निर्माण एवं उसको तय किया जाता है और तब सरकारी तंत्र को दायित्व को प्रभावी बनाने के दिशा में कार्य करने दिया जाता है। अतः यह दण्ड धारा में पूर्व तय दायित्व के

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मूल्यांकन की शक्ति देता है और साथ ही साथ कर वसूली एवं कर इकट्ठा करने की रीति भी बताता है, जिसमें बकायेदारों से संबंधित दण्ड धारा भी समाहित है। विलम्ब से भुगतान इत्यादि पर दण्ड लगाने के लिए भी प्रावधान किया गया है। सामान्यतः दण्ड से संबंधित धारा का कठोर रूप से अर्थ लगाया जाता है किन्तु कठोर रूप से अर्थ लगाने का नियम, जो अन्य प्रावधानों की तरह लगाये जाते हैं, मशीनरी प्रावधानों तक सीमित नहीं है। मशीनरी प्रावधानों का अर्थ इस तरह लगाना चाहिए जो उसके उद्देश्यों को और प्रभावी बनाये न कि असफल बनाये। (**देखें- व्हिटने बनाम आईआरसी, सीआईटी बनाम महालीराम रामजीदास, इण्डिया युनाइडेट मिल्स लि. बनाम कमिश्नर एक्सेस प्रोफिट्स टैक्स, बाम्बे एवं गुरसाही सहगल बनाम सीआईटी, पंजाब**)। लेकिन हमें यह सोंचना चाहिए कि प्रावधान जो

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्राधिकारी को कर लगाने एवं एवं ब्याज वसूलने की शक्ति देता है अगर उसका अर्थ मशीरी प्रावधान के रूप में अर्थ लगाया जाए तो वह इस कारण से मूल विधि जान पड़ती है, यदि इसे विधि के अधीन संविदा एवं ब्याज वसूलने के अभाव में लगाया जाए तो इस राशि को गलत तरीके से अपने पास रखने के लिए क्षति के रूप में नहीं वसूला जा सकता है....."

38. उपरोक्त निर्णय में जिस बात पर ध्यान देना जाना सुसंगत है वह यह है कि जो न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जिसके द्वारा प्राधिकारी को कर लगाने एवं ब्याज लगाने की शक्ति प्रदान की गयी है, भले ही मशीनरी प्रावधानों के निर्माण करने के भाग के तौर उसका अर्थ लगाया जाए, वो मूल विधि है। यहां विवाद नहीं है कि इस पर ब्याज या कर के भुगतान के दायित्व मूल विधि द्वारा प्रदान की जानी है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

39. धारा 13 यथोचित परिवर्तनों सहित उ. प्र. मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा 33 को लागू करती है। इस अधिनियम की धारा 33 इस प्रकार हैः

> "33. कर की वसूली एवं भुगतान- (1) टैक्स की कोई राशि या फीस या दण्ड़ या अन्य कोई राशि, जिसका डीलर या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत दायी है, वह डीलर एवं अन्य व्यक्ति द्वारा विहित रूप में जमा की जाएगी।
>
> (2). धारा 42 के प्रावधानों के अध्यधीन, कर जिसको जमा किया जाना है उसे विहित समय में जमा करना होगा और ऐसा करने में असफल रहने पर एक चौथाई साधारण ब्याज प्रतिमार की दर से बकाया हो जाएगा और इस बकाये का भुगतान करना होगा जो ऐसी राशि का भुगतान करने की निर्धारित तिथि के अन्तिम तिथि से प्रभावी होगा और धारा 24 की कोई ऐसी बात

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

ऐसे ब्याज के भुगतान के दायित्व को न तो रोकने वाली होगी और न ही स्थगित करने वाली होगी।

स्पष्टीकरण- इस उपधारा के उद्देश्यों के लिए, कर अवधि या मूल्यांकन वर्ष हेतु भुगतान किये जाने वाले कर, जैसा मामला हो, धारा 15 के प्रावधानों के अनुरूप उसका आँकनल किया जाएग।

xxx.....xxx.....xxx

(4)यदि किसी प्राधिकारी या न्यायलय द्वारा आँकलित, पुनःआँकलित, या बढ़े हुए का मूल्यांकन या मांगी गयी सूचना में निर्दिष्ट अवधि के बीत जाने के उपरान्त नहीं भुगतान किया जाता तो ऐसी तिथि के बीत जाने से बकाये राशि पर एक प्रतिशत प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज की गणना की जाएगी जो बकाया हो जाएगी और उसका भुगतान करना होगा।

xxx.....xxx.....xxx

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

40. आगे इस न्यायालय की संविधान पीठ ने **वी.वी.एस. सुगर्स बनाम आन्ध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य 1999, 4 एस.सी.सी. 192** के मामले के उसी सिद्धान्त को दुहराया जो प्रस्तर 6 में है जो निम्नलिखित है-

> "6. **जे. के. सिंथेटिक्स लिमिटेड बनाम सी.टी.ओ.** में पारित संविधानिक पीठ के निर्णय का विश्लेषण कर इस न्यायालय ने **कार्बन लिमिटेड बनाम असम राज्य** मामले में यह धारित किया कि कर जमा करने में हुई देरी के चलते ब्याज केवल तभी लगाया एवं वसूला जा सकता है जब इस संबंध में संविधि में मौलिक प्रावधान दिये गये हों। यहां बकाये कर पर ब्याज लगाने एवं वसूलने का संविधि में मौलिक प्रावधान नहीं है जो संशोधित अधिनियम के प्रारम्भ के दिन से बाद गन्ने की खरीद पर लागू होता है, यहां ब्याज अधिरोपित नहीं किया जा सकता है जो उक्त नियम 45 या अन्यथा के अनुप्रयोग पर आधारित।"

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

41. वैट अधिनियम,2008 की धारा 33 के प्रावधान की प्रकृति क्या है, जिसे अधिनियम, 2007 की धारा 13 के आधार पर प्रायोज्य बनाया गया है, उसका उत्तर दिया होगा? "यथाआवश्यक परिवर्तन सहित" वैट अधिनियम, 2008 के कतिपय प्रावधानों पर लागू होता है जो धारा 13 में वर्णित है। पद "यथाआवश्यक परिवर्तन सहित" पद पर **श्री अशोक सर्विस सेंटर एवं अन्य बनाम उड़ीसा राज्य, (1983) 2 एस.सी.सी. 82** के मामले में विचार में आया। उक्त मामले में न्यायालय के पास उड़ीसा अपर वाणिज्य कर अधिनियम 1975 पर विचार करने का अवसर प्राप्त था। यथाआवश्यक परिवर्तन सहित की धारा 2(2) उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम,1947 के प्रावधानों को लागू करती है। उपरोक्त संदर्भ में, इस न्यायलय ने प्रस्तर 17 में पद यथाआवश्यक परिवर्तन सहित की व्याख्या की है जो निम्नलिखित है-

> "17. अधिनियम की धारा 3(2) जो प्रधान अधिनियम यथाआवश्यक परिवर्तन सहित के प्रावधान अतिरिक्त कर अधिरोपण को लागू करते हैं वह अधिनियम के करारोपण प्रावधान हैं और इसमें यह बात नहीं कही गयी है कि प्रधान

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम के कर मूल्यांकन और वसूली संबंधी प्रावधान अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाहियों पर लागू होंगे। इस पर विचार करने के पूर्व कि प्रधान अधिनियम के कौन से प्रावधन अधिनियम के भाग के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, हमें पद यथाआवश्यक परिवर्तन सहित का अर्थ समझना होगा। इंग्लिश लॉ डिक्सनरी अर्ल जोविट्स यथाआवश्यक परिवर्तन सहित को आवश्यक परिवर्तन के रूप में परिभाषित करती है। ब्लैक्स लॉ डिक्सनरी यथाआवश्यक परिवर्तन सहित आवश्यक परिवर्तन के रूप में परिभाषित करती है। आम तौर पर इसके अर्थ समान होते हैं लेकिन जब आवश्यक होता है तो इसके नाम पद एवं इसी से संबंधित अन्य चीजें बदल दी जाती है। हाउसमैन बनाम वाटरहाउस. बाउवियर लॉ डिक्सनरी (तीसरा संशोधित संस्करण 2) यथाआवश्यक परिवर्तन सहित का आशय आवश्यक परिवर्तन है। इस पद का मतलब है प्रायोगिक तौर पर होने वाली घटनाओं में तत्काल परिवर्तन। अतः इसका

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अर्थ यह हुआ कोई पदार्थ और चीजें सामान्यतः वैसी ही रहती हैं लेकिन जब आवश्कता होती है तो उनके नाम, कार्यालय में बदलाव किया जाए। पूर्व अधिनियम यथाआवश्यक परिवर्तन सहित का बाद के अधिनियम में विस्तार अनुकूलन के विचार को लागू करता है, लेकिन अब तक केवल क्योंकि यह उन उद्देश्यों के लिए जरूरी है कि उस वस्तु के स्वभाव को बिना बदले परिवर्तिन करना है। अधिनियम की धारा 3(2) यह दर्शित होता है कि विधानमण्ड़ल का आशय यह नहीं था कि वह मूल अधिनियम में जो मौलिक प्रावधान दिये गये हैं उससे हटकर विधि बनाये। उच्च न्यायलय ने जो प्रकल्पना की वह यह है कि यह अधिनियम एक स्वतंत्र अधिनियम है और उसके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं है। मूल अधिनियम और इस अधिनिमय के तहत कर में छूट देने की जो प्रकृति है वह समान है और विधानमण्ड़ल ने स्पष्ट तौर पर मूल अधिनिमय में यथाआवश्यक परिवर्तन सहित के प्रावधानों को बनाया है जो

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अधिनियम के तहत छूट को लागू करते हैं। अतिरिक्त बिक्री कुल मिलाकर सरचार्ज की प्रकृति की थी और जो बकाया थी और जिसका भुगतान अधिनियम के प्रावधानों के अधीन कर निर्धारिती के द्वारा भुगतान किया जाना था। यद्यपि अधिनियम के पास विस्तृत नाम, संक्षिप्त नाम और प्रत्येक कानून का अन्य सामान्य गुण होने पर भी इसे स्वतंत्र कानून विचारित नहीं किया जा सकता है। इसे प्रभावी बनाने के लिए मूल अधिनियम के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस परिस्थितियों उच्च न्यायालय ने निष्करण निकाला कि यह बात गलत थी कि दो अधिनियम एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। हमारा मानना है कि इन दोनों अधिनियम का एक साथ पढ़ा जाना और अर्थान्वयन करना आवश्यक है मानों वे दोनों एक ही हैं। और , इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हैं तो इस अधिनियम के प्रावधानों में कौन बाद में आएगा , जब कभी अधिनियम में मूल अधिनियम के संशोधन की बात कहीं गयी हो। यहां पर

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

लॉर्ड सिमोन के निष्कर्षो का उल्लेख करना प्रासंगिक है जो उन्होंने फेंडोच इनवेस्टमेंट ट्रस्ट कम्पनी बनाम इनलैण्ड़ रेवेन्यू कमिशनर्स के मामले में दिया था जो कतिपय धनीय संविधियों के अर्थान्वयन से संबंधित है। उन्होंने यह बाते प्रस्तर 144 में कहीं हैंः

"माई लॉर्ड, मुझे संदेह नहीं है कि अधिनियम के अर्थान्वयन के समय जो विशिष्ट विषयवस्तु से संबंधित है विशेष रूप से वहां जहां उन सभी को एक साथ पढ़ा जाना हो, हमें उसे प्रमुखता देनी चाहिए जो स्पष्ट रूप में लिखी हों और बाद के अधिनियम में संशोधन, यदि संभव हो, तो उस योजना से संगत उसका अर्थान्वयन किया जाए।"

42. आगे इसी कथन को **राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश एवं अन्य बनाम डाइमन्ड जेम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि. एवं अन्य 2013 (5)**

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

एस.सी.सी. 470 के मामले में दोहराया गय। जिसमें निम्नलिखित धारित किया गया-

> "18. इस प्रकार वाक्यांश यथाआवश्यक परिवर्तन सहित का तात्पर्य है कि संविधि के अन्य भाग या अन्य संविधियों में निहित कोई प्रावधान लागू करेगा क्योंकि इसका संबंध विस्तारपूर्वक कतिपय बदलावों से है।"

43. इस प्रकार वैट अधिनियम, 2008 के प्रावधानों का अमल विस्तारपूर्वक कतिपय परिवर्तनों के साथ अधिनियम, 2007 की धारा 13 द्वारा उपबंधित किया गया है। वैट अधिनियम, 2008 की धारा 33, जिसे धारा 13 के अधीन लागू करने हेतु उल्लिखित किया गया है, को कर के भुगतान और कर की वसूली के संबंध में लागू करना होगा। इस प्रकार कर राशि पर धारा 33 के तहत ब्याज का भुगतान प्रवेश कर और ब्याज के भुगतान के संबंध में लागू किया जाएगा। भले ही वैट अधिनियम, 2008 को मशीनरी प्रावधान मानना जो अधिनियम, 2007 की धारा 13 के लागू होता है, फिर भी

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

मशीनरी प्रावधानों का इस रीति से निर्वचन करना होगा ताकि दायित्व को प्रभावी बनाया जा सके और इसे मौलिक विधि माना जाए।

44. इस संदर्भ में हम इस न्यायलय द्वारा निर्णीत **इण्डिया कार्बन लिमिटेड एवं अन्य बनाम असम राज्य, (1997) 6 एससीसी 479** के मामले पर भी दृष्टिपात कर सकते हैं। उक्त मामले में अन्तरराज्यीय पेट्रोलियम बिक्री केंद्रीय बिक्री कर के भुगतान में देरी कर दी गयी थी और प्रत्यर्थियों ने असम बिक्री कर अधिनियम की धारा 35क के तहत मिली शक्ति का प्रयोग कर अपीलार्थियों से ब्याज के भुगतान की अपेक्षा की थी। एक प्रश्न जिसको विचार में लिया गया वह यह कि क्या केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) में कोई ब्याज का भुगतान कल्पित है कि नहीं। धारा 9(2) का उद्धरण दिया जा रहा है जिसका निम्नलिखित प्रभाव है-

"4. यहां केंद्रीय अधिनियम की धारा 9(2) इस प्रकार हैः

"9(2) इस अधिनियम के अन्य प्रावधानों एवं नियमों के अधीन रहते हुए, प्राधिकारीगण जिन्हें समुचित सरकार द्वारा तत्समय समान्य बिक्री कर विधि के अधीन कर के मूल्यांकन,

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

पुनर्मूल्यांकन, संग्रह और भुगतान के प्रवर्तन की शक्ति प्राप्त है, भारत सरकार के तरफ से इस अधिनियम के अन्तर्गत विक्रेता द्वारा देय अर्थदण्ड़ सहित कर के मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, संग्रह और भुगतान का प्रवर्तन करेगा मानो वह अर्थदण्ड़ कर व राज्य की सामान्य बिक्री कर विधि के अन्तर्गत देय अर्थदण्ड हो, और इस उद्देश्य के लिए वह राज्य की सामान्य बिक्री कर विधि के अधीन किन्हीं या सभी शक्ति का प्रयोग करेगा। और ऐसी विधि के प्रावधान जिसमें रिटर्न से संबंधित प्रावधान , अनंतिम मूल्यांकन, कर का अग्रिम भुगतान, किसी व्यापार में संलग्न अन्तरणकर्ता का पंजीकरण, अन्तरणकर्ता की ओर से चलाए जा रहे किसी व्यक्ति पर कर दायित्व का अधिरोपण, उत्तराधिकारी को, ऐसा व्यापार, किसी फर्म के या हिन्दू अविभाजित परिवार का ऐसी फर्म का समापन ऐसे परिवार के विभाजन के समय कर के भुगतान के दायित्व का अन्तरण,पर व्यक्ति से कर वसूली, पुनर्याचना, निर्देश, प्रतिदाय, छूट,

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

अर्थदण्ड़ अधिरोपण या ब्याज का भुगतान, अपराधों का संयोजन तथा विक्रेता द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों को गोपनीय रखना, तद्रुरूप लागू होगें।"

45. इस न्यायालय के संवैधानिक पीठ द्वारा पारित निर्णय **जे. के. सिंथेटिक्स (उपरोक्त)** का अवलोकन किया है और इस पीठ के अनुपात को संदर्भत करते हुए प्रस्तर 7 में निम्नलिखित अवलोकन किया गया हैः

"उक्त से यह तर्क लिया जा सकता हैः ब्याज केवल तभी लगाया और वसूला जा सकता है जब संविधि में ऐसा करने के मौलिक प्रावधान दिये गये हों।"

46. इस न्यायलय ने **इण्डिया कार्बन लि.**(उपरोक्त) में धारित किया कि बाद के भाग में धारा 9(2) से संबंधित प्रावधान केवल तभी बिक्री कर प्राधिकारियों द्वारा लगाया जा सकता है जब केंद्रीय अधिनियम केवल उस सीमा तक केंद्रीय बिक्री कर पर करारोपण और ब्याज लगाने संबंधी मौलिक प्रावधान बनाए। प्रस्तर 13 में निम्नलिखित धारित किया गया हैः

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

"13. अब, धारा 9(2) में ब्याज का आरोपण या वसूली प्रावधान बाद के भाग कहे जा सकते हैं। धारा 9(2) बिक्री कर प्राधिकारियों को विक्रेता द्वारा देय केंद्रीय बिक्री कर के मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन, वसूली एवं भुगतान के प्रवर्तन की शक्ति प्रदान करता है मानो यह राज्य के अधिनियम के तहत देय हो, धारा 9(2) का यह प्रथम भाग है। द्वतीय भाग में प्राधिकारियों को, राज्य अधिनियम एवं इसके प्रावधानों के तहत, शक्ति के प्रयोग का अधिकार प्रदान किया गया है जिसमें ब्याज का आरोपण और भुगतान से संबंधित प्रावधान शामिल हैं तथा तदनरूप लागू होता है। **खेमका एण्ड कम्पनी** के मामले में जो कुछ भी कहा गया उसका ध्यान रखते हुए यह धारित करना होगा कि मूल विधि जिसे राज्य लागू करेगी वह केंद्रीय अधिनियम है. ऐसे अनुप्रयोगों में, केवल प्रक्रियात्मक उद्देश्यों के लिए राज्य के प्रावधान उपलब्ध हैं। धारा 9(2) के बाद वाले भाग में ब्याज से संबंधित प्रावधान राज्य बिक्री कर

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

प्राधिकारियों द्वारा केवल तभी प्रयोग किया जा सकता है और केवल उसी सीमा तक जब केंद्रीय अधिनियम केंद्रीय बिक्री कर पर ब्याज लगाने एवं वसूलने हेतु मौलिक प्रावधान करता है। यहां चूंकि केंद्रीय अधिनियम में केंद्रीय बिक्री कर पर ब्याज वसूलने का कोई मौलिक प्रावधान नहीं है इसलिए राज्य बिक्री कर प्राधिकारी, केंद्रीय बिक्री के भुगतान के प्रवर्तन और उसको वसूलने के उद्देश्यों हेतु, ब्याज लगा सकती है।"

47. धारा 9(2) दो भागों में विचार किया गया। इस न्यायालय ने प्रथम भाग को मौलिक प्रावधीन कहा जबकि द्वतीय भाग को कहा कि इसका उद्देश्य केवल प्रक्रियात्मक है। उक्त कारणों के चलते इस न्यायालय ने धारित किया कि ब्याज का कोई भी दावा नहीं पाया गया। हमारे पहले इस मामले में धारा 33 धारा 13 यथाआवश्यक परिवर्तन सहित के आधार पर प्रायोज्य बनाया गया है। धारा 13 में की द्विभाजन नहीं है जैसा कि बिक्री कर अधिनियम की धारा 9(2) में **इण्डिया कार्बन लिमिटेड** के मामले में देखा गया था।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

48. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने **जे. के. सिंथेटिक्स लि.** के मामले में धारित किया है कि ".....लेकिन यह समझना होगा कि प्रावधान जिसके द्वारा प्राधिकारी को ब्याज अधिरोपण एवं उसको वसूलने की शक्ति प्रदान की गयी है भले ही इसका अर्थ मशीनरी प्रावधानों के निर्माण भाग की तरह लगाया जाए, यह मौलिक विधि....." इस प्रकार हमें अपीलार्थी के विद्वत अधिवक्ता के तर्कों को नकारने में की संकोच नहीं है कि अधिनियम 2007 में ब्याज को लगाने और वसूलने के मौलिक प्रावधान नहीं है। तदनुरूप प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दिया जाता है।

49. हमारे द्वारा क्षेत्राधिकार संबंधी प्रश्न संख्या 1 एवं 2 का उत्तर दिये जाने के उपरान्त अन्य प्रश्नों एवं विवाद्यों को उच्च् न्यायलय द्वारा विचारित करने हेतु भेजे जाने की आवश्यकता है। ब्याज का दायित्व एवं तत्थात्मक पहलुओं सहित ब्याज एवं अन्य पहलुओं के निर्धारण हेतु प्रश्नों को उच्च न्यायालय द्वारा जांचे जाने एवं विचारित किये जाने की आवश्यकता है।

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और कियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

उदाहरण के के तौर पर, उक्त वर्णित सिविल अपील संख्या 997-998 में दिनांकित 09.02.2004 के इस न्यायालय के अन्तरिम आदेश के अनुसरण में अलग अलग ब्याज खातों में प्रवेश कर के भुगतान का प्रभाव क्या होगा, उस पर विचार किये जाने की जरूरत है। यहां पर कुछ अन्य विषय हो सकते हैं, तथ्यों से संबंधी प्रश्न जिसे उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के ब्याज के दायित्व को निर्धारित किये जाने की जरूरत है। उच्च न्यायालय यहां स्वतंत्र है कि वह किसी प्रश्न या विषय की रचना कर सकता है जिस पर विचार एवं उत्तर दिये जाने की अपेक्षा की जा सकेगी।

50. परिणामस्वरूप अपील पर अनुमति प्रदान की जाती है। दिनांक 22.11.2018 का उच्च न्यायालय का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है। याचिकाएं विचारित एवं गुणों पर निर्णीत किये जाने हेतु उच्च न्यायालय के समक्ष संशोधित की जाती हैं।

....

(मा. न्यायमूर्ति, अशोक भूषण)

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।

.....

(मा. न्यायमूर्ति, के. एम. जोसेफ)

नई दिल्ली।

22 अप्रैल, 2019

<u>उद्घोषणा</u>

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बिंधत प्रयोग के लिये है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जायेगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिये मान्य होगा"।